पत्र संख्या-१३/वि०मं०-४४/२०२३सा० 392

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-१५, दिनांक 01 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, २०२३

विषय - मा० श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा), स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद के २०५ वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-०१/२०५/५५ के हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१/२०५/५५, बिहार विधान परिषद् सचिवालय के वेबसाईट से सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को प्राप्त हुआ है । आलोच्य प्रश्न का विषयवस्तु "सरकार पटना में प्रतिनियुक्त कर्मी को पटना शहर में प्रतिनियुक्त् कर्मी को पटना शहर में प्रतिनियुक्ति की तिथि से मकान किराया के साथ-साथ शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृत कर भुगतान कराने" से संबंधित है । उक्त विषय भवदीय विभाग से संबंधित रहने के कारण आलोच्य अल्पसूचित प्रश्न की मूल प्रति वांछित कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि आलोच्य प्रश्न का उत्तर वित्त विभाग से ही देने की कृपा की जाए । इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद सचिवालय को दी जा रही है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-४४/२०२३सा०-392/पटना-१५, दिनांक 01 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, २०२३

प्रतिलिपि - प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ऑन-लाईन अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१/२०५/५५ दिनांक २७/१०/२०२३ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१/२०५/५५ को सामान्य प्रशासन् विभाग, बिहार, पटना की सूची से विलोपित कर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाए ।

२ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

अल्प सूचित प्रश्न | बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् प्रश्न

अल्प सूचित प्रश्न डायरी संख्याः 1/205/55

विषयः

परिवहन भत्ता

सूचना प्राप्ति दिनांकः 18/10/2023 27/10/2023

1/205/55 श्री अशोक कुमार पाण्डेय(विधान सभा)

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन क्या मंत्री, ,यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार मकान किराया भत्ता नियमावली, 1980 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या- 6011/वि०, दिनांक- 10.07.2023 द्वारा अन्या जगहों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्ति स्थल का मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता उनके योगदान की तिथि से प्रदान करने का प्रावधान स्पष्ट किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के आलोक में किशनगंज जिला के समाहरणालय संवर्ग से पटना में प्रतिनियुक्त कर्मी को ज्ञापांक- 700/जि. स्था., दिनांक- 19.08.2023 द्वारा मात्र मकान किराया भत्ता की स्वीकृति पत्र निर्गत की तिथि से स्वीकृत की गयी है ;

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत चकबंदी निदेशालय से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/मुख्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मी को चकबंदी निदेशालय के पत्रांक- 428, दिनांक- 19.06.2020 द्वारा उनके प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान की तिथि से पटना शहर का मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता अनुमान्य किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना में प्रतिनियुक्त कर्मी को पटना शहर में प्रतिनियुक्ति की तिथि से मकान किराया के साथ-साथ शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृत कर भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

D.No.-4056/प्रशा०-13
27/10/23